भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 424
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्था

†424. श्री जिया उर रहमानः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं की अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता स्थानीय विकास परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पंचायतों की वित्तीय क्षमता और राजस्व जुटाने की शक्तियों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): पंचायत", "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243H के अनुसार, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विधि द्वारा निर्दिष्ट है, समनुदिष्ट कर सकता है।

हालांकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों तथा स्थानीय निकायों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों को साझा करने की सिफारिश का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है। राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 13वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग तक केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान में लगातार वृद्धि हो रही है। 13वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2010-15) के तहत आवंटन 64,408 करोड़ रुपये था और 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-26) के तहत आवंटन 2,36,805 करोड़ रुपये है जो 13वें वित्त आयोग के आवंटन का लगभग 4 गुना है।

(ख) और (ग): पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों को उनके स्वयं की राजस्व स्रोत में वृद्धि करने में सहायता हेतु सक्रिय रूप से शामिल है, जिससे उनकी स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया जा सके। इसी उद्देश्य से, मंत्रालय ने एक समर्पित पंचायत राजस्व संवर्द्धन प्रकोष्ठ (PREC/OSR सेल) की स्थापना की है और RGSA योजना के तहत

एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत आगामी चार वर्षों में, नवंबर 2025 से शुरू होकर, कुल 350 ग्राम पंचायतों की पहचान कर उन्हें ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के ओएसआर संग्रह को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए "समर्थ पंचायत पोर्टल" विकसित किया है। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो कर और गैर-कर माँगों को सृजन (जनरेट) करने, कर रजिस्टरों के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल सशक्तिकरण स्थानीय वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और विस्तारशीलता लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मंत्रालय ने 'स्वयं की राजस्व स्रोत उत्पन्न करने हेतु एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी' पर एक अध्ययन शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) के सहयोग से पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) सृजन (जनरेट करने) पर विशेष मॉड्यूल विकसित किया हैं। ओएसआर के विशेष मॉड्यूल के आधार पर 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) का प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत पंचायतों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ने 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) पर आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए) का शुभारंभ किया है, और यह पहली बार है कि मंत्रालय ने स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के संवर्द्धन के माध्यम से आत्मनिर्भरता में ग्राम पंचायतों के अनुकरणीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने और स्वीकार करने के लिए समर्पित विशेष श्रेणी पुरस्कारों को संस्थागत रूप दिया है। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए) का उद्देश्य पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के संवर्द्धन के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

***